संख्या-2563/सैंतीस-2-2014-33(5)/84

प्रेषक,

अनन्त कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

पशुधन अनुभाग 2 लखनऊ :: दिनांक 05 सितम्बर, 2014

विषयः- पशुपालन विभाग के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों आदि के क्रय हेतु नीति निर्धारण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-40/क0प्र0पे0/क्रय नीति/2014-15 दिनांक 26.05.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- पशुपालन विभाग में औषधियों/वैक्सीन/उपकरणों आदि के क्रय हेतु वर्तमान में शासनादेश संख्या-708/सैंतीस-2-2004-33(5)/84 दिनांक 06.05.2004, शासनादेश संख्या-2379/सैंतीस-2-2004-33(5)/84 दिनांक 05.08.2004, शासनादेश संख्या-1634/सैंतीस-2-2013-33(5)/84 दिनांक 20.04.2013, संख्या-4653/सैंतीस-2-2013-33(5)/84 दिनांक 21.02.2014 एवं संख्या-741/सैंतीस-2-2014-33(5)/84 दिनांक 05.03.2014 प्रभावी हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 21.02.2014 द्वारा किये गये संशोधनों के कारण कुछ प्राविधानों को क्रियान्वित करने में आ रही कठिनाईयों के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त शासनादेश में निम्नवत् संशोधन किये जाने के निर्णय लिये गये हैं :-

(1) निविदित प्रत्येक औषधि के पॉच-पॉच सैम्पल प्राप्त कर उनकी औषधि नियंत्रक उ0प्र0 द्वारा सन्तोषजनक गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही दर निर्धारण संबंधी अग्रिम कार्यवाही करने की व्यवस्था निरस्त की जाती है।

(2) उपकरणों के क्रय करने के लिए मैनुफैक्चर्स के पास यू0एस0एफ0डी0ए0 प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता उन्हीं उपकरणों के रखी जाय, जिनके लिए स्वास्थ्य विभाग में यह व्यवस्था है। सभी उपकरणों के लिए स्वास्थ्य विभाग के मानक ही अपनायें जायें।

(3) औषधि निर्माताओं को दर अनुबन्ध में सम्मिलित होने के लिए उनके द्वारा उत्पादित औषधि के कुल टर्न ओवर के 50 प्रतिशत की आपूर्ति खुले बाजार में करने की शर्त वैक्सीन पर लागू नहीं होगी, लेकिन औषधियों पर लागू रहेगा।

(4) औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जनपदों की मांग के अनुसार इनकी आपूर्ति मुख्यालय पर केन्द्रीयकृत रूप से प्राप्त की जाये। प्राप्त औषधि का रेण्डम सैम्पल लेकर उसकी गुणवत्ता की जॉच करायी जाये। संतोषजनक जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जनपदों को उसकी आवश्यकतानुसार औषधियां भेजी जायें तथा भेजी गयी औषधियों की सूचना आपूर्तिकर्ता को देकर तद्नुसार जनपदों को बिल प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाय । जनपदों में आपूर्ति प्राप्त हो जाने के पश्चात् बिल प्राप्ति के सात दिन के अन्दर आपूर्तिकर्ता का भुगतान संबंधित जनपदों द्वारा सुनिश्चित किया जाय। भुगतान की स्थिति का अनुश्रवण मुख्यालय से निरन्तर किया जाये। जनपदों को धन आवंटन के संबंध में शासनादेश दिनांक 21.02.2014 की व्यवस्था यथावत् रखी जाये।

....2...

4 उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित शेष अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(अनन्त कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2563(1)/सैंतीस-2-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार/लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा अनुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. अपर निदेशक, बी0पी0 संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. अपर निदेशक (गोधन विकास) पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक(रोग नियंत्रण) पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर।
6. प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन/प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा।
7. मुख्य डूग कन्ट्रोलर, उ0प्र0 लखनऊ।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
10. उपनिदेशक, प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
12. औद्योगिक विकास अनुभाग-7/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमर सेन सिंह)
उप सचिव।